

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3746

जिसका उत्तर गुरुवार, 13 फरवरी 2014 को दिया जाना है

पी.एस.यू. में वेतन भुगतान

3746. श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत कुछ महीनों से सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों (पी.एस.यू.) में कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है अथवा देरी से वेतन का भुगतान किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे पी.एस.यू. के नाम और प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें वेतन नहीं दिया गया है तथा आज तक की तिथि तक बकाया वेतन की कुल राशि कितनी है;
- (ग) समय पर इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं और इन मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या सरकार के पास सभी पी.एस.यू. का निजीकरण करने तथा उनकी देयताओं के भुगतान करने के लिए उनकी आस्तियों को बेचने का कोई प्रस्ताव है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जी, हां।

(ख): भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	31.08.2013 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या	बकाया वेतन (करोड़ रुपये में)
1.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1779	39.73
2.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	2745	0
3.	एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड	1077	15.32
4.	एचएमटी (सीडब्ल्यू) लिमिटेड	34	0.65
5.	नगालैंड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.	211	2.97
6.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	128	1.22
7.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	90	0.90
8.	नेपा लिमिटेड	797	11.50
9.	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	62	1.10
10.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड	672	6.88
11.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	112	0.97
	कुल	7707	81.24

(ग): उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए आंतरिक संसाधनों का सृजन करने में समर्थ नहीं हैं, अतः भारी उद्योग विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों को अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध करा रही है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के कर्मचारियों को 31.03.2013 तक वेतन का भुगतान किया जा चुका है। 01.04.2013 से 31.08.2013 तक वेतन का भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): प्रश्न ही नहीं उठता।
